राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक एफ. 1(3)आ.प्र.एवं सहा./ओला0/2015/2939-80 जयपुर, दिनांक 19.3.15

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषयः— ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

जैसा की आपको विदित है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि/वर्षा से रबी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इसके संबंध में व्यापक खराबे को देखते हुए दिनांक 4.3.2015 को विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिये गये है इसके अनुसार आपको दिनांक 18.3.2015 तक गिरदावरी सम्पन्न करवानी थी। इस दौरान आपने गिरदावरी का काफी कार्य पूर्ण कर लिया होगा। परन्तु इस दौरान दिनांक 12.3.2015 से 15.32015 को ओलावृष्टि/वर्षा होने से ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की पुनः गिरदावरी होगी। जिसका समय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2015 तक बढ़ा दिया है। चूंकि प्रदेश में इस बार कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी क्षति हुई। ऐसी स्थिति में उनको तत्काल सहायता पहुंचाया जाना आवश्यक है। इसी स्थिति को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.3.2015 को ओलावृष्टि राहत पैकेज घोषित कर दिया है जिसके आदेश क्रमांक 1853—1903 दिनांक 18.3.2015 द्वारा जारी किया जा चुका है। अतः कृपया तत्काल आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से ऑनलाईन बजट की मांग करे एवं एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स व राहत पैकेज के अनुसार जिन ग्रामों/काश्तकारों की गिरदावरी पूर्ण हो चुकी है और एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में पात्रता रखते है उनको तत्काल सहायता वितरित करने का कार्य करे, ताकि प्रभावित काश्तकारों को यथा शीघ्रातिशीघ्र राशि वितरित करके राहत प्रदान की जा सकें।

संलग्नः—ओलावृष्टि राहत पैकेज की प्रति

भवदीय

15/3/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव